"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च 2010—फाल्गुन 14, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2010

आदेश

क्रमांक 1655/डी-601/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, एतद्द्वारा कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का संख्या 66) की धारा 4 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ. ग. उच्च न्यायालय की सहमति से, श्री आर. के. राठी, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर के प्रधान न्यायाधीश के पद पर पदस्थ करता है.

उन्हें निर्देशित किया जाता है कि कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर में प्रधान न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.